



प्रतिनिधि के लिए आवेदक की तारीख	रजाम और फॉलो की अपेक्षित संख्या सूची करने की तिथि तारीख	रीस जवकी देने के लिए प्रतिनिधि तैयार की	आवेदक को प्रतिनिधि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
28/11/16	28/11/16	28/11/16	28/11/16

FOLIO NOT AVAILABLE
 रजवी प्रतिनिधि अंतिम प्रकाशित खरियान के खेसरा संख्या 3240
 खाला नं० 213
 जॉर्ड सं० 8
 उमरेशपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंदधूर।

परागना शाना सं०
 MAITAHANAN

खरियान की क्रम सं०	अधिसूची का नाम रिया का नाम जाति और निवास	सेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	शेर नगरी तगान वाले हरेक प्लोट के सामने बताए कि उस पर कबजा कैसे है	बन्दोबस्त उचित तगान यदि हो 1 तगान 2 सेस	नोट
		खेसरा संख्या	चौदही						
1		3240		भूकान	0.00.50		राजस्य पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित तगान 1	1 तगान 2 सेस	
213	महम्मद सुमान मिना अखर सुसेन			भूशालभ	0.00.10				
				भूकान	0.02.40				
				जौसल - खाना नवा कुड्या	0.00.60				
					0.30.60				

Certified to be True Copy
 Head Clerk to the Settlement office
 Indian Evidence Act, 1872

राजस्य अभिनिश्चित खरियानपुर्त करतकरी अधिसूचना 1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एव उड़ीसा फोरसूचना संशोधन अधिनियम 1920 की धारा 10(1) के अन्तर्गत बिहार हुआ और इकरा अधिनियम प्रकलन क्रमांक 10, Pt. IV, 1929... के तहत जारी है।

राजस्य पदाधिकारी